



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240891
CG-DL-E-08122022-240891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5488]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944

No. 5488]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5724(अ).— भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4714 (अ), दिनांक 27.10.2021 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस इथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज-नागोथाने ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 09.12.2021 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : कर्जत	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5
1) निकोप	5/8	00	03	40

[फा. सं. एल.-14014/119/2021-जी.पी.-II (ई-40059)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5724(E).— Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 4714 (E) dated 27-10-2021, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying RIL's dedicated Dahej-Nagothane Ethane pipeline for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s Reliance Industries Limited (RIL) by M/s Reliance Ethane Pipelines Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 09-12-2021;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, have decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Karjat	District : Raigad	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Nikop	5/8	00	03	40

[F. No. L-14014/119/2021-GP-II (E-40059)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.